[2022] 13 एस. सी. आर 808

राज्य कर अधिकारी (1)

वी.

रेनबो पेपर सीमित

(2020 की सिविल अपील संख्या 1661)

सितंबर 06,2022

[इंदिरा बनर्जी और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एसएस। 9 , 15 , 30 , 31 & 53

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (दिवाला समाधान)

निगमित व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2016-आरआर। 4 , 4 ए, 6 से 14-गुजरात मूल्य वर्धित कर, 2003-एस। 48 एस। 53 आई. बी. सी. का, यदि एस. को ओवरराइड करता है। 48 जी. वी. ए. टी.-सी. एस. टी. और वी. ए. टी. के प्रति बिक्री कर अधिकारियों को प्रत्यर्थी से देय कुछ राशि-वसूली कार्यवाही शुरू की गई और प्रत्यर्थी की संपत्ति कुर्क की गई-याचिका यू/एस। 9 सी. आई. आर. पी. और समाधान पेशेवर की शुरुआत के लिए-आर. पी. नियुक्त किया गया था-अपीलार्थी ने तब आर. पी. के समक्ष दावा दायर किया कि निश्चित रूप से जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत राशि देय थी और आर. पी. ने अपीलार्थी को सूचित किया कि उसके पूरे दावे को माफ कर दिया गया है-अपीलार्थी द्वारा चुनौती-एन. सी. एल. टी. ने आवेदन को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि सरकार निगमित देनदार की संपत्ति पर पहले शुल्क का दावा नहीं कर सकती है। 48 जो उक्त अधिनियम के तहत कर, ब्याज, जुर्माना आदि के कारण विक्रेता द्वारा देय किसी भी राशि के संबंध में एक व्यापारी की संपत्ति पर पहले शुल्क का प्रावधान करता है, एस पर प्रबल नहीं हो सकता है। 53 आई. बी. सी.-एन. सी. एल. ए. टी. ने खारिज किया

अपील के रूप में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य का दावा विलंबित है-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एन. सी. एल. ए. टी. ने उस एस को धारण करने में गलती की। 53 आई. बी. सी. एस. को ओवरराइड करता है। 48 जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 आई. बी. सी. की धारा 53 या किसी अन्य प्रावधान के विपरीत या असंगत नहीं है-धारा 53 (1) (बी) (ii) के तहत, एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण, जिसमें जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत राज्य शामिल होगा, को अन्य निर्दिष्ट ऋणों के साथ समान रूप से श्रेणीबद्ध किया जाना है। परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के कारण ऋण सहित ऋण-राज्य

जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार है। 3 (30) आई. बी. सी. द्वारा परिभाषित

सुरक्षित लेनदार का अर्थ है एक ऐसा लेनदार जिसके पक्ष में सुरक्षा ब्याज जमा किया जाता है-इस तरह का सुरक्षा हित कानून के संचालन से बनाया जा सकता है-आई. बी. सी. में सुरक्षित लेनदार की परिभाषा यह करती है

किसी भी सरकार या सरकारी प्राधिकरण को बाहर नहीं किया गया है।

इसके अलावा, दावा दायर करने में देरी दावे को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है- विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

HELD 1.1 विनियमों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए न कि संक्षिप्त तरीके से और व्याख्या की जानी चाहिए

आईबीसी के वैधानिक प्रावधान। कार्यवाही के पूरा होने के लिए भी आई. बी. सी. में निर्धारित समय सीमा निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। [पैरा 23] [831-सी-डी]

1.2 दावे 5 अक्टूबर, 2017 से काफी पहले आमंत्रित किए गए थे, जो दावे जमा करने की अंतिम तिथि थी। विनियम 12 (1) के अपरिवर्तित प्रावधानों के तहत, अपीलार्थी को कोई दावा दायर करने की आवश्यकता नहीं थी। विनियम 10 के साथ पढ़ें, अपीलार्थी को केवल ऐसी सामग्रियों के उत्पादन द्वारा दावे को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी जिनके लिए कहा जा सकता है। समय की शर्तें हैं - अनिवार्य नहीं है जैसा कि विनियमन 14 के उप-विनियमन (2) से स्पष्ट है जो अंतरिम समाधान पेशेवर या

समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, स्वीकार किए गए दावों की राशि को संशोधित करने के लिए, जिसमें उक्त विनियमन के उप-विनियमन (1) के तहत किए गए दावों के अनुमान शामिल हैं, जब उन्हें इस तरह के संशोधन की आवश्यकता वाली अतिरिक्त जानकारी मिलती है। [पैरा 24] [831-डी-एफ]

1.3 राज्य की ओर से बकाया राशि के संबंध में दावा दायर करने का कोई दायित्व नहीं था, जिसके लिए वैधानिक बकाया है।

देर हो गई। 2016 विनियमों का विनियम 12 आई. बी. सी. की धारा 15 के तहत सार्वजनिक घोषणा में निर्धारित प्रमाण के साथ दावा प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि से संबंधित है। द. हालाँकि, समय अवधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल निर्देशिका है। [पैरा 39] [834-जी-एच] [2022] 13 एस. सी. आर.

1.5 आई. बी. सी. की धारा 31 जो एक के अनुमोदन के लिए प्रदान करती है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना यह स्पष्ट करती है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को केवल इस संतुष्टि पर मंजूरी दे सकता है कि ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.) द्वारा अनुमोदित समाधान योजना आई. बी. सी. की धारा 30 (2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जब समाधान योजना धारा 30 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो उसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 41] [835-सी]

1.6 जब किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत की गई थी, तो न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण को यह जांचने की आवश्यकता थी कि क्या समाधान योजना पूरी हुई आई. बी. सी. की धारा 30 (2) की आवश्यकताएँ। "संतुष्ट" शब्द

1.7 एक समाधान योजना की स्वीकृति का कोई सवाल नहीं हो सकता है जो वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है आईबीसी की धारा 31 (2)। आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (बी), समाधान पेशेवर पर प्रत्येक की जांच करने का दायित्व डालती है।

उसके द्वारा प्राप्त समाधान योजना और यह पुष्टि करने के लिए कि ऐसी समाधान योजना परिचालन लेनदारों के बकाया के भुगतान के लिए प्रदान करती है, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट, जो धारा 53 के तहत निगमित ऋणदाता के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी, या वह राशि जो

ऐसे परिचालन लेनदारों को भुगतान किया गया है, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि में वितरित की गई थी

धारा 53 की उप-धारा 2 में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार, जो भी अधिक हो, और वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया, जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया, इस तरह से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। [पैरा 45] [837-डी-एफ] 1.8 आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत, धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित एक समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा केवल तभी अनुमोदित किया जा सकता है जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट हो कि ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना राज्य कर अधिकारी (1) v को पूरा करती है।

रेनबो पेपर सीमित

अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताएँ

आई. बी. सी. समाधान योजना के अनुमोदन के लिए पूर्व शर्त यह है कि समाधान योजना आई. बी. सी. की धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। [पैरा 46] [837-जी-एच] 1.9 एक समाधान योजना जो आई. बी. सी. की धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, अमान्य होगी और केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार, किसी भी वैधानिक या अन्य प्राधिकरण, किसी भी वित्तीय लेनदार, या अन्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

लेनदार जिस पर उस समय लागू किसी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के संबंध में ऋण बकाया है। इस तरह की समाधान योजना राज्य को बाध्य नहीं करेगी जब एक के बकाया वैधानिक बकाया हैं

कॉर्पोरेट देनदार। [पैरा 48] [838-ई-एफ] 1.10 आई. बी. सी. की धारा 31 (1) जो निर्णय प्राधिकरण को समाधान योजना को मंजूरी देने का अधिकार देती है, का उपयोग करती है -

इस शर्त के अधीन कि समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है, "यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा जो बाध्यकारी होगी।" यदि कोई समाधान योजना आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो निर्णय लेने वाला

प्राधिकरण को समाधान योजना को मंजूरी देना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

दूसरी ओर, धारा 31 की उप-धारा (2), जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक समाधान योजना को अस्वीकार करने में सक्षम बनाती है, जो धारा 31 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, "हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। [पैरा 49] [838-एफ-एच]

1.11 आम तौर पर, "होगा" शब्द का उपयोग एक जनादेश/बाध्यकारी दिशा को दर्शाता है, जबकि "हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग विवेक को दर्शाता है। यदि कानून कहता है कि कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, तो वह हो सकता है कि वह काम भी न करें। भले ही धारा 31 (2) का अर्थ किसी समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करना है, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से, सनक से या तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना नहीं किया जा सकता है।

विवेक को एक या दूसरे तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। [पैरा 50] [839-ए-बी]

1.12 यदि स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों की आवश्यकता है

विवेक का प्रयोग एक विशेष तरीके से करने के लिए, विवेक का प्रयोग उस तरह से किया जाना चाहिए। यदि कोई समाधान योजना [2022] 13 एस. सी. आर. में नहीं है।

कानून और/या आई. बी. सी. के प्रावधानों और/या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप, प्रस्ताव होगा

अस्वीकार करने के लिए। यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत भी है कि अभिव्यक्ति "हो सकता है", यदि परिस्थितियाँ ऐसी मांग करती हैं तो "शॉल" के रूप में माना जा सकता है। [पैरा 51] [839-सी]

1.13 यदि समाधान योजना वैधानिक मांगों की उपेक्षा करती है

किसी भी राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण को देय, कुल मिलाकर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए बाध्य है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, जिसमें सरकार और/या अन्य प्राधिकरणों के लिए अपने वैधानिक बकाया शामिल होने चाहिए और ऐसी कोई योजना नहीं है जो उन ऋणों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, समान आनुपातिक कमी पर विचार करती है, तो कंपनी को अनिवार्य रूप से परिसमापन करना होगा और आई. बी. सी. की धारा 53 में निर्धारित तरीके से उसकी संपत्तियों को बेचना और वितरित करना होगा। [पैरा 52,53] [839-डी-ई] 1.15 लेनदारों की समिति, जिसमें वित्तीय संस्थान और अन्य वित्तीय लेनदार शामिल हो सकते हैं, किसी भी ऋण के लिए वैधानिक बकाया की कीमत पर अपने स्वयं के बकाया को सुरक्षित नहीं कर सकती है।

सरकार या सरकारी प्राधिकरण या उस मामले के लिए, कोई अन्य बकाया। [पैरा 54] [839-एफ]

1.16 एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने अवलोकन में गलती की कि एस। 53 आई. बी. सी. एस. को ओवरराइड करता है। 48 जीवीएटी से। जीवीएटी अधिनियम की धारा 48 नहीं है

धारा 53 या किसी अन्य प्रावधान के विपरीत या उसके साथ असंगत

आई. बी. सी. धारा 53 (1) (बी) (ii) के तहत, एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण, जिसमें जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत राज्य शामिल होगा, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के कारण ऋण सहित अन्य निर्दिष्ट ऋणों के साथ समान रूप से रैंक करना है। [पारस 55,56] [839-जी; 840 बी]

1.17 राज्य जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार है। आई. बी. सी. की धारा 3 (30) सुरक्षित लेनदार को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है

लेनदार जिसके पक्ष में प्रतिभूति ब्याज जमा किया जाता है। इस तरह के सुरक्षा हित कानून के संचालन द्वारा बनाए जा सकते हैं। आई. बी. सी. में सुरक्षित लेनदार की परिभाषा किसी भी सरकारी या सरकारी प्राधिकरण को बाहर नहीं करती है। [पैरा 57] [840-सी] 1.18 अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने राज्य कर अधिकारी (1) v के आवेदन/अपील को अस्वीकार करने में कानूनी रूप से गलती की।

रेनबो पेपर सीमित

अपीलार्थी। दावा दायर करने में देरी दावे को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। [पैरा 58] [840-डी]

1.19 विवादित आदेशों को अलग कर दिया जाता है। संकल्प

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित योजना को भी अलग रखा जाता है। [पैरा 59] [840-ई]

स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एससीसी

17 [2019] 3 एस. सी. आर. 535; विशाल सक्सेना और अन्र। वी. स्वामी जी।

दीन गुप्ता रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (2020) एससीसी

ऑनलाइन एन. सी. एल. टी. 2734; सीमा शुल्क सहायक आयुक्त

वी. माथुर सभापति विश्वनाथन आई. बी. ए./578/2019;

एन. सी. एल. टी., चेन्नई घनश्याम मिश्रा एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2021) 9 एससीसी

657 ; एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। की समिति एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और अन्य के लेनदार

(2022) 2 एस. सी. सी. 401-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

(2021) 9 एस. सी. सी. 657

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

(2022) 2 एस. सी. सी. 401

पै

रा 42

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.1661

2020 से।

राष्ट्रीय संविधान के 19.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.404 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ

2020 की सिविल अपील No.2568।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सुश्री आस्था मेहत्रा, सुश्री.

विशाखा, सुश्री प्रेरणा महापात्रा, विनायक शर्मा, सुश्री इंदिरा भास्कर, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अंकुर कश्यप, आयुष अग्रवाल, अदिति मित्तल, सुश्री आरुषि

कौलस्कर, सुश्री स्वाति खानविसारा, अमन बजाज, अर्णव नारायण, राजेश श्रीवास्तव, नीरज दत्त गौर, गौरव वर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

(ए. टी.) (दिवाला) 2019 की सं. 404, अपीलार्थी द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के 27 फरवरी 2019 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें इसे अस्वीकार कर दिया गया। आवेदन 2018 का आई. ए. No.224/271/272/337 और 2019 का पी-1 है।

सी. पी. नं. (आई. बी.) 88/9/एन. सी. एल. टी./ए. एच. एम./2017 अपीलार्थियों द्वारा दायर और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सरकार गुजरात मूल्य वर्धित कर, 2003 की धारा 48 के रूप में निगमित ऋणदाता की संपत्ति पर पहले शुल्क का दावा नहीं कर सकती है, जिसे इसके बाद "जी. वी. ए. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, जो उक्त जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत कर, ब्याज, जुर्माना आदि के कारण विक्रेता द्वारा देय किसी भी राशि के संबंध में एक व्यापारी की संपत्ति पर पहले शुल्क का प्रावधान करता है, आई. बी. सी. की धारा 53 पर प्रबल नहीं हो सकता है। 2. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या आई. बी. सी. के प्रावधान और विशेष रूप से, इसकी धारा 53, जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 को ओवरराइड करती है जो सुविधा के लिए नीचे दी गई हैः

" 48. कर संपत्ति पर पहला शुल्क होगा। - तत्काल लागू किसी कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, किसी व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या जुर्माने के कारण देय कोई राशि जिसके लिए वह देय है। सरकार
को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ऐसे व्यापारी या, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा।

3. प्रतिवादी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर एक कंपनी निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है और 16 अप्रैल, 1990 से गुजरात राज्य के भीतर और बाहर शिल्प और पतवारों की बिक्री।

4. अपीलार्थी का समय-समय पर जीवीएटी अधिनियम के तहत मूल्य वर्धित कर (वैट) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के लिए मूल्यांकन किया गया है। यह.

यह कहा गया है कि पेपर बुक के पृष्ठ 44 पर संलग्न बयान के अनुसार, सी. एस. टी. और वी. ए. टी. के लिए उत्तरदाता से बिक्री कर अधिकारियों को Rs.53,71,65,489/- की राशि देय है।

5. 8 जुलाई, 2016 को या उसके आसपास, प्रत्यर्थी के खिलाफ वर्ष 2011-2012 और राज्य कर अधिकारी (1) v के लिए उसके बकाया के संबंध में वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी।

रेनबो पेपर लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.]

अपीलार्थी ने 8 अक्टूबर, 2018 को राजपुर, तालुका कडी में स्थित सर्वेक्षण No.2379 और 2381 में प्रत्यर्थी की भूमि को कुर्क किया।

6. एक नीरज पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, के परिचालन लेनदार के रूप में

प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) की अहमदाबाद पीठ के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत 2017 की कंपनी याचिका (आई. बी.) दायर की।

7. 12 सितंबर, 2017 के एक आदेश द्वारा उक्त कंपनी ने

उक्त नीरज पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका [2017 की कंपनी याचिका (आईबी) संख्या 88] को स्वीकार कर लिया गया। जॉर्ज सैमुअल नामक व्यक्ति को 22 सितंबर, 2017 को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया गया था।

8. उक्त जॉर्ज सैमुअल की आई. आर. पी. के रूप में नियुक्ति के बाद, दावा

आई. बी. सी. की धारा 15 के तहत समाचार पत्र प्रकाशन जारी करके लेनदारों से आमंत्रित किए गए थे। दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 तारीख थी। अक्टूबर 2017।

9. दावों की प्राप्ति के बाद, लेनदारों की एक समिति (सी. ओ. सी.)

10 अक्टूबर 2017 को गठित किया गया। अपनी पहली बैठक में सी. ओ. सी. ने आई. आर. पी. को बदलने का प्रस्ताव पारित किया। तदनुसार, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट रामचंद्र डी. चौधरी को रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री चौधरी की नियुक्ति को एन. सी. एल. टी. द्वारा 6 नवंबर 2017 के एक आदेश द्वारा मंजूरी दी गई थी।

10. अपीलार्थी ने आर. पी. के समक्ष अपेक्षित प्रपत्र में दावा दायर किया

बी, यह दावा करते हुए कि रु। 47.36 करोड़ (लगभग), जी. वी. ए. टी. के तहत प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को देय और देय था। एक्ट करें। दावा समय से परे दायर किया गया था।

11. सी. आई. आर. पी. के प्रवेश और आर. पी. की नियुक्ति के बाद, एक

कुशल लिमिटेड ने एक समाधान योजना प्रस्तुत की। विभिन्न लेनदारों ने समाधान योजना पर आपत्ति जताई थी।

12. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड, एक वित्तीय

प्रत्यर्थी के लेनदार-कॉर्पोरेट देनदार ने 2018 का एक अंतर्वर्ती आवेदन No.273 दायर किया जिसमें तर्क दिया गया कि भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड को गलत तरीके से एक असुरक्षित वित्तीय लेनदार के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

13. एक आदेश द्वारा श्री.

अपीलार्थी ने दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को No.JCCT/डिव-4/मेहसाणा/NCLT/केस/O.W.No.3090 का आह्वान किया

आर. पी. बकाया कर बकाया के प्रति अपीलार्थी के दावे की पुष्टि करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. 22 अक्टूबर, 2018 के एक पत्र द्वारा, समाधान पेशेवर

अपीलार्थी को सूचित किया कि अपीलार्थी का पूरा दावा माफ कर दिया गया है। आर. पी. के आदेश से अपीलार्थी को 6 नवंबर, 2018 को एक ईमेल द्वारा अवगत कराया गया था।

15. 20 दिसंबर, 2018 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने चुनौती दी

एक आवेदन करके समाधान योजना आई. ए. नं. 2019 का पी-1 एन. सी. एल. टी. की अहमदाबाद पीठ के समक्ष यह तर्क देते हुए कि

सरकारी बकाया राशि माफ नहीं की जा सकी। अपीलार्थी ने वैट/सी. एस. टी. के लिए Rs.47,35,72,314/- के कुल बकाया के भुगतान के लिए अनुरोध किया।

इस आधार पर कि बिक्री कर अधिकारी एक सुरक्षित लेनदार था।

16. आई. ए. सं. 224/271/272 में 27 फरवरी, 2019 के एक आदेश द्वारा

337 2018 का पी और 2019 का पी-1 सी. पी. सं. (आई. बी.) 2017 का 88, निर्णयात्मक प्राधिकरण एन. सी. एल. टी. की अहमदाबाद पीठ होने के नाते अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) अहमदाबाद ने कहाः

" 13. समाधान आवेदक ने फिर से संशोधित आवेदन दायर किया

26.05.2018 पर समाधान योजना। जांच पर आर. पी. जारी किया गया

विनियमन के अनुपालन में 28.05.2018 पर प्रमाण पत्र

एक (1) दिन की अवधि के भीतर जिसे स्वीकार किया गया और विधिवत समाधान आवेदक द्वारा कार्य किया गया।

14. उक्त संशोधित समाधान योजना के साथ

दिनांकित 05.06.2018 का परिशिष्ट पहले ई-मतदान के लिए रखा गया था

सी. ओ. सी. के सदस्य जो दो (2) दिनों में हुए।

समर्थन में 79.79% मतदान हिस्सेदारी के बहुमत के साथ परिशिष्ट समाधान आवेदक का।

XXX

XXX

XXX

16. आर. पी. द्वारा धारा 30 (6) के तहत आवेदन दाखिल करने पर

संहिता की धारा 31 के साथ पढ़ें, नोटिस जारी किए गए थे

सी. ओ. सी. और निलंबित प्रबंधन। सी. ओ. सी. अनुमोदित और

आर. पी. द्वारा टी. ए. टी. ई. कर अधिकारी (1) v के तहत आवेदन दायर करने के तथ्य को स्वीकार किया गया।

रेनबो पेपर सीमित

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

संहिता की धारा 33 (6) और तर्क का समर्थन किया है

एल. डी. द्वारा उन्नत। आर. पी. के वकील। कोई प्रतिनिधित्व नहीं निलंबित प्रबंधन से प्राप्त।

17. 8 अप्रैल, 2019 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने 27 फरवरी, 2019 के उपरोक्त आदेश के खिलाफ सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की।

आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत प्राधिकरण का निर्णय लेना। याचिका में कहा गया है कि

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

18. एन. सी. एल. ए. टी. ने कहाः

" 34. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने देखा कि अपीलार्थी

22 अक्टूबर को 'रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल' से संपर्क किया,

2018 जबकि 26 मई, 2018 की 'समाधान योजना'

दिनांक 5 जून, 2018 के परिशिष्ट के साथ अनुमोदित किया गया था

72.79 के मतदान बहुमत के साथ 'लेनदारों की समिति'

'समाधान योजना' के पक्ष में प्रतिशत। इस प्रकार, दावा

अपीलार्थी द्वारा न केवल बहुत देर से किया गया था 'समाधान पेशेवर' से पहले लेकिन उससे पहले भी

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

35. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने समय के भीतर दावा दायर नहीं किया है।

इसने विलंबित स्तर पर 'रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल' से संपर्क किया

न्यायनिर्णायक द्वारा 'समाधान योजना' के अनुमोदन के बाद प्राधिकरण।

36. 'समाधान पेशेवर' के लिए सीखा हुआ परामर्श

प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का दावा-'राज्य कर अधिकारी'

(1) ' धारा 5 (21) के तहत परिभाषित 'परिचालन ऋण' के अर्थ के भीतर आता है। अपीलार्थी का दावा भी सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 3 (31) के साथ पठित धारा 3 (30) के तहत परिभाषित 'सुरक्षित लेनदार' के अर्थ में नहीं आता है।

***

38. आई एंड बी के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को ध्यान में रखते हुए 'आई एंड बी कोड' की धारा 53 के साथ पढ़ा गया कोड, सरकार

निगमित की संपत्ति पर पहले प्रभार का दावा नहीं कर सकते हैं।

देनदार '। धारा 48 धारा 53 पर प्रबल नहीं हो सकती। इसलिए,

अपीलार्थी-'राज्य कर अधिकारी-(1)' सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 3 (31) के साथ पठित धारा 3 (30) के तहत परिभाषित 'सुरक्षित लेनदार' के अर्थ के भीतर नहीं आता है।

39. इसके अलावा, 'बिक्री कर विभाग' ने देर से अपना दावा दायर किया

योजना के बाद का चरण [2022] 13 एस. सी. आर. की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

लेनदारों, 'समाधान पेशेवर' के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

उसी का मनोरंजन करने के लिए और उचित रूप से मनोरंजन नहीं करने के लिए।

19. आई. बी. सी. की धारा 30 और 31 का उल्लेख नीचे किया गया हैः

" 30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। (1) एक समाधान आवेदक एक शपथ पत्र के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है जिसमें कहा गया है कि वह प्रस्ताव की धारा 29-ए के तहत पात्र है।

जानकारी के आधार पर तैयार पेशेवर

ज्ञापन।

(2) समाधान पेशेवर अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना

(क) बोर्ड द्वारा प्राथमिकता में निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है

निगमित देनदार के अन्य ऋणों का भुगतान;

(ख) प्रचालन ऋणदाताओं के ऋणों के भुगतान के लिए ऐसी रीति का प्रावधान करता है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए जो -

(i) धारा 53 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि; या ((ख) ऐसी ऋणदाताओं को दी जाने वाली राशि, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि को धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित किया गया होता,

जो भी अधिक हो, और ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है

वित्तीय लेनदार, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऐसी रीति से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, जो धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी।

निगमित देनदार का परिसमापन।

स्पष्टीकरण 1. - संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख को और उससे, टी. ए. टी. ई. कर अधिकारी (1) v.

इस खंड के प्रावधान एक निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर भी लागू होंगे -

((i) जहां समाधान योजना को मंजूरी या अस्वीकृत नहीं किया गया है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा;

((ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के तहत अपील की गई है या ऐसी अपील पर उस समय लागू कानून के किसी प्रावधान के तहत समय की पाबंदी नहीं है; या

((ग) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

एक समाधान योजना;

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद निगमित देनदार के मामलों के प्रबंधन का प्रावधान करता है;

((घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण; (ई) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है;

( ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है।

स्पष्टीकरण। खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य कानून के तहत शेयरधारकों की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता है,

समाधान योजना के तहत कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए, ऐसी मंजूरी दी गई मानी जाएगी और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

(3) समाधान पेशेवर अपने अनुमोदन के लिए ऋणदाताओं की समिति के समक्ष ऐसी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करेगा जो

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करें।

(4) लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम साठ-छह प्रतिशत के वोट से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है, इसकी व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद और

व्यवहार्यता प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो प्राथमिकता सहित धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है। और एक सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित का मूल्य, और ऐसी अन्य आवश्यकताएँ जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं:

बशर्ते कि लेनदारों की समिति एक को मंजूरी नहीं देगी

समाधान योजना, दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (अध्यादेश) के प्रारंभ से पहले प्रस्तुत की गई। 2017 का 7), जहां समाधान आवेदक धारा 29-ए के तहत अयोग्य है और समाधान पेशेवर को एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है जहां इसके साथ कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं हैः

बशर्ते कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29-ए के खंड (सी) के तहत अयोग्य है, समाधान आवेदक को धारा 29-ए द्वारा अनुमति दी जाएगी।

धारा 29-क के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने के लिए ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक न हो, लेनदारों की समितिः

बशर्ते कि दूसरे परंतुक की किसी भी बात का अर्थ इन उद्देश्यों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं लगाया जाएगा -

धारा 12 की उप-धारा (3) का परंतुक और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता द्वारा संशोधित धारा 29-ए में पात्रता मानदंड

(संशोधन) अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश। 2018 का 6) उस समाधान आवेदक पर लागू होगा जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है।

(5) समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाता हैः

(6) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। 31. समाधान योजना की स्वीकृति। - (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि धारा टी. ए. टी. ई. कर अधिकारी (1) v की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना।

रेनबो पेपर लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.]

30 धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, यह आदेश द्वारा उस समाधान योजना को मंजूरी देगा जो निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों पर बाध्यकारी होगी, जिसमें केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, जिसके लिए किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण है। समय पर लागू होने के कारण, जैसे कि ऐसे अधिकारी जिन पर वैधानिक बकाया है, गारंटर और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकः

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उपखंड के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने से पहले

खंड, संतुष्ट करता है कि समाधान योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि समाधान योजना निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है

उप-धारा (1) में, वह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

धारा 14 के तहत प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और (ख) समाधान पेशेवर सभी अभिलेखों को अग्रेषित करेगा।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन और बोर्ड को दर्ज की जाने वाली समाधान योजना से संबंधित

अपने डेटाबेस में।

(4) समाधान आवेदक, उप-धारा (1) के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, उप-धारा के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी कानून के तहत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

धारा (1) या ऐसी अवधि के भीतर जिसके लिए ऐसी कानून में प्रावधान किया गया है, जो भी बाद में होः

बशर्ते कि जहां समाधान योजना में संयोजन का प्रावधान है, जैसा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 5 में संदर्भित है, समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पहले उस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

20. आई. बी. सी. की धारा 53, जो किसी निगम की परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय के वितरण के तरीके और तरीके का प्रावधान करती है।

या परिसमापन में, सुविधा के लिए नीचे दिया गया है:

" 53. परिसंपत्तियों का वितरण। - (1) संसद या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद,

परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय होगी

प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में और इस तरह के भीतर वितरित

अवधि और ऐसी रीति से जो निर्दिष्ट की जाए, अर्थात्

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और परिसमापन लागत का पूरा भुगतान; (ख) निम्नलिखित ऋण जो और के बीच समान श्रेणी के होंगे।

निम्नलिखित में से

(i) चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया

परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले; और

((ii) किसी प्रतिभूत लेनदार को ऐसे प्रतिभूत ऋण की स्थिति में देय ऋण

लेनदार ने निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है

(ग) वेतन और इसके अलावा अन्य कर्मचारियों को देय कोई भी बकाया राशि इससे पहले के बारह महीनों की अवधि के लिए श्रमिक

परिसमापन शुरू होने की तारीख;

(घ) असुरक्षित लेनदारों को देय वित्तीय ऋण; (ई) निम्नलिखित देय राशि के बीच और बीच में समान रूप से श्रेणीबद्ध होगी।

निम्नलिखित:

—

((i) परिसमापन प्रारंभ होने से पहले की दो वर्ष की अवधि के पूरे या किसी भाग के संबंध में भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के कारण प्राप्त होने वाली राशि सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि।

तिथि;

((ii) किसी भी अवैतनिक राशि के लिए किसी सुरक्षित लेनदार को देय ऋण।

सुरक्षा हित के प्रवर्तन के बाद;

(च) कोई शेष ऋण और देय राशि;

(छ) तरजीही शेयरधारक, यदि कोई हों; और टी. ए. टी. ई. कर अधिकारी (1) v.

रेनबो पेपर सीमित

[इंदिरा बनर्जी, जे।]

(ज) इक्विटी शेयरधारक या भागीदार, जैसा भी मामला हो। (2) इसके तहत प्राप्तकर्ताओं के बीच कोई भी संविदात्मक व्यवस्था

उप-धारा (1) समान श्रेणी के साथ, यदि के क्रम को बाधित करती है

उस उप-धारा के तहत प्राथमिकता की अवहेलना की जाएगी

परिसमापक।

(3) परिसमापक को देय शुल्क में कटौती की जाएगी।

प्रत्येक वर्ग को देय आय से आनुपातिक रूप से

उप-धारा (1) के तहत प्राप्तकर्ता, और आय

इस तरह की कटौती के बाद संबंधित प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए

(i) एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वितरण के प्रत्येक चरण में

प्राप्तकर्ताओं के एक वर्ग के संबंध में आय की श्रेणी समान रूप से, प्रत्येक ऋण का या तो पूरा भुगतान किया जाएगा, या किया जाएगा

प्राप्तकर्ताओं के समान वर्ग के भीतर समान अनुपात में भुगतान किया जाता है,

यदि आय ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; और

((ii) "श्रमिकों का बकाया" शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में दिया गया है। (18 2013 का) "।

21. आई. बी. सी. की धारा 240 के साथ पठित धारा 5,7,9,14,15,8,21,24,25,29,30,196 और 208 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए,

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड, जिसे इसके बाद संदर्भित किया गया है

आर. डी. ने भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का गठन किया है

निगमित व्यक्तियों के लिए ऋण शोधन क्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, जिन्हें इसके बाद "2016 विनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है। 2016 के विनियमों के कुछ चींटी प्रावधान नीचे दिए गए हैं

सुविधाः

" 4. पुस्तकों तक पहुँच। - (1) धारा 17 (2) (डी) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना,

अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प

पेशेवर, जैसा भी मामला हो, की पुस्तकों तक पहुँच सकते हैं

जानकारी, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक सीमा तक संहिता के तहत, निगमित देनदार के साथ

(क) प्रतिभूतियों के भंडार;

(ख) निगमित देनदार के पेशेवर सलाहकार;

(ग) सूचना उपयोगिताएँ; [2022] 13 एस. सी. आर.

(घ) अन्य रजिस्ट्रियां जो परिसंपत्तियों के स्वामित्व को दर्ज करती हैं;

(च) निगमित देनदार के संविदात्मक समकक्ष। (2) निगमित देनदार के कर्मचारी, उसके प्रवर्तक या निगमित देनदार के प्रबंधन से जुड़े कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की जानकारी प्रदान करेंगे।

समय और ऐसे प्रारूप में जो अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर द्वारा मांगा गया हो, जैसा भी मामला हो। (3) लेनदार अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर को, जैसा भी मामला हो, संपत्ति और देनदारियों के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा।

अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटमेंट, प्राप्य विवरण, की निरीक्षण रिपोर्ट से कॉर्पोरेट देनदार

संपत्ति, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, शीर्षक खोज रिपोर्ट, तकनीकी अधिकारी रिपोर्ट, बैंक खाता विवरण और ऐसी अन्य जानकारी जो अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर को सूचना ज्ञापन तैयार करने, मूल्यांकन निर्धारित करने में सहायता करेगी और

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन में।

4 - ए. अधिकृत प्रतिनिधि का चयन। (1) लेखा बहियों और निगमित देनदार के अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करने पर, अंतरिम समाधान पेशेवर लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो, का पता लगाएगा। (2) समिति में उप-विनियम (1) के तहत निर्धारित वर्ग में लेनदारों के प्रतिनिधित्व के लिए, अंतरिम प्रस्ताव

पेशेवर तीन दिवालिया पेशेवरों की पहचान करेंगे जो

हैं।

(क) उसके रिश्तेदार या संबंधित पक्ष नहीं;

(क) बोर्ड के साथ पंजीकृत अपने पते, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, जैसा भी मामला हो, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के रिकॉर्ड में उनके पते के अनुसार वर्ग में लेनदारों की संख्या सबसे अधिक है: बशर्ते कि जहां ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्याप्त संख्या में दिवालिया पेशेवर नहीं हैं, वहां टी. ए. टी. ई. कर अधिकारी (1) v.

जैसा भी मामला हो, पास के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पते रखने वाले दिवाला पेशेवरों पर विचार किया जाएगा। (बी) विनियमन 3 के तहत समाधान पेशेवर होने के लिए पात्र; और

(ग) वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक। (3) अंतरिम समाधान पेशेवर उप के तहत पहचाने गए प्रत्येक दिवाला पेशेवर की सहमति प्राप्त करेगा।

विनियम (2) अनुसूची के प्रपत्र एबी में वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए। 6. सार्वजनिक घोषणा। — (1) एक दिवाला पेशेवर एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में अपनी नियुक्ति पर तुरंत एक सार्वजनिक घोषणा करेगा।

व्याख्याः ' तुरंत 'का अर्थ है तीन दिनों के बाद नहीं।

उनकी नियुक्ति की तारीख से।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा इस प्रकार होगीः (क) अनुसूची के प्रपत्र क में होना;

(ख) प्रकाशित किया जाए।

(i) निगमित ऋणदाता के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, के स्थान पर व्यापक प्रसार के साथ एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में और किसी अन्य स्थान पर जहां अंतरिम प्रस्ताव की राय में हो। पेशेवर, निगमित देनदार सामग्री व्यवसाय संचालित करता है

संचालन;

((ख) निगमित देनदार की वेबसाइट पर, यदि कोई हो; और

((ग) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर, यदि कोई हो,

उद्देश्य, (ख) यह बताएँ कि दावा प्रपत्र कहाँ से डाउनलोड या प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसा भी मामला हो;

(bb) तीन दिवालिया पेशेवरों की पहचान की गई

विनियमन 4-ए के तहत प्रत्येक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना; और [2022] 13 एस. सी. आर.

(ग) दावे के प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रदान करें, जो अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख से चौदह दिन होगी।

(3) आवेदक सार्वजनिक घोषणा के खर्चों को वहन करेगा जिसे समिति द्वारा उस हद तक प्रतिपूर्ति की जा सकती है जब तक वह उनका अनुसमर्थन करती है।

7. प्रचालन ऋणदाताओं द्वारा दावे। - (1) दावा करने वाला व्यक्ति

कॉर्पोरेट देनदार के कर्मचारी या कर्मचारी के अलावा एक परिचालन लेनदार होने के नाते, अंतरिम समाधान पेशेवर को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या द्वारा प्रमाण के साथ दावा प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति पूरक प्रस्तुत कर सकता है समिति के गठन से पहले दावे के समर्थन में दस्तावेज या स्पष्टीकरण।

(2) इस विनियमन के तहत परिचालन लेनदार के कारण ऋण का अस्तित्व इस आधार पर साबित किया जा सकता है -

(क) सूचना उपयोगिता के पास उपलब्ध अभिलेख, यदि कोई हो;

या

(ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, जिनमें शामिल हैं -

((i) निगमित देनदार के साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध;

((ii) निगमित देनदार को आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग करने वाला एक चालान;

((ग) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण का आदेश जिसने इस पर निर्णय दिया हो।

ऋण का भुगतान न करना, यदि कोई हो; या

((iv) वित्तीय खाते।

(v) वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत दाखिल किए गए फॉर्म जी. एस. टी. आर.-1 और फॉर्म जी. एस. टी. आर.-3 बी के प्रासंगिक उद्धरणों की प्रतियां और जहां भी लागू हो, ई-वे बिल की प्रतियां:

बशर्ते कि इस उपखंड के प्रावधान उन लेनदारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू नहीं होंगे जो वस्तु और सेवा कर से संबंधित किसी कानून के तहत नहीं आते हैं।

8. वित्तीय लेनदारों द्वारा दावे। - (1) होने का दावा करने वाला व्यक्ति

एक वित्तीय लेनदार, एक वित्तीय लेनदार के अलावा अन्य

लेनदारों के एक वर्ग को, अनुसूची के प्रपत्र सी में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रमाण के साथ दावा प्रस्तुत करना होगाः

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति पूरक प्रस्तुत कर सकता है

समिति के गठन से पहले दावे के समर्थन में दस्तावेज या स्पष्टीकरण।

(2) वित्तीय लेनदार के कारण ऋण का अस्तित्व हो सकता है

के आधार पर

(क) सूचना उपयोगिता के पास उपलब्ध अभिलेख, यदि कोई हो; या

(ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, जिनमें शामिल हैं - (i) वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित एक वित्तीय अनुबंध

ऋण का प्रमाण;

((ii) एक रिकॉर्ड जो इस बात का प्रमाण देता है कि वित्तीय लेनदार द्वारा किसी सुविधा के तहत निगमित देनदार को दी गई राशि

निगमित देनदार द्वारा खींचा गया है; (iii) वित्तीय विवरणों से पता चलता है कि ऋण का भुगतान नहीं किया गया है।

भुगतान किया गया; या

((iv) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण का आदेश जिसने इस पर निर्णय दिया हो। ऋण का भुगतान न करना, यदि कोई हो।

8 - ए. एक वर्ग में लेनदारों द्वारा दावे। - (1) दावा करने वाला व्यक्ति

किसी वर्ग में लेनदार होने के नाते वह अनुसूची के प्रपत्र सीए में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रमाण के साथ दावा प्रस्तुत करेगा।

(2) एक वर्ग में एक लेनदार के कारण ऋण का अस्तित्व हो सकता है

बनो।

के आधार पर

(क) सूचना उपयोगिता के पास उपलब्ध अभिलेख, यदि कोई हो;

या

(ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, जिनमें से कोई भी

((i) बिक्री के लिए समझौता; ((ii) आवंटन पत्र; [2022] 13 एस. सी. आर.

((ग) भुगतान की प्राप्ति; या ((iv) ऐसा अन्य दस्तावेज, जो ऋण के अस्तित्व का प्रमाण देता है।

(3) एक वर्ग में एक लेनदार तीन विकल्पों में से एक दिवालिया पेशेवर की अपनी पसंद का संकेत दे सकता है।

सार्वजनिक घोषणा में अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा इसके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है।

9. श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा दावे। (1) एक व्यक्ति जो कॉर्पोरेट देनदार का कर्मचारी या कर्मचारी होने का दावा करता है

अंतरिम समाधान पेशेवर को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या अनुसूची के फॉर्म डी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करेगाः

दावे के समर्थन में दस्तावेज या स्पष्टीकरण, उस पर समिति के गठन से पहले अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा स्वयं या यदि आवश्यक हो।

(2) जहां निगमित देनदार के कई कर्मचारियों या कर्मचारियों का बकाया है, वहां एक अधिकृत प्रतिनिधि अनुसूची के फॉर्म ई में अपनी ओर से ऐसे सभी बकाया के प्रमाण के साथ एक दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(3) श्रमिकों या कर्मचारियों को देय राशि का अस्तित्व उनके द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से साबित किया जा सकता है -

(क) सूचना उपयोगिता के पास उपलब्ध अभिलेख, यदि कोई हो; या

(ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, जिनमें शामिल हैं -

(i) उस अवधि के लिए रोजगार अनुबंध जैसे रोजगार का प्रमाण जिसके लिए ऐसा कर्मचारी या कर्मचारी बकाया का दावा कर रहा है;

((ii) बकाया भुगतान की मांग करने वाले नोटिस का प्रमाण और कोई दस्तावेजी या अन्य प्रमाण कि भुगतान नहीं किया गया है; या

((ग) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण का कोई आदेश जिसने देय राशि, यदि कोई हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया हो।

9 - ए. अन्य लेनदारों द्वारा दावे। - (1) होने का दावा करने वाला व्यक्ति

विनियम 7,8,8-ए या 9 के अंतर्गत आने वाले लेनदारों के अलावा कोई अन्य लेनदार अपना दावा सबूत के साथ अंतरिम टी. ए. टी. कर अधिकारी (1) v. को प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची के फॉर्म एफ में डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। (2) में निर्दिष्ट लेनदार के दावे का अस्तित्व

(क) सूचना उपयोगिता में उपलब्ध अभिलेख, यदि कोई हो, या (ख) दावे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त अन्य प्रासंगिक दस्तावेज,

निम्नलिखित में से कोई भी या सभी

(i) दावे की संतुष्टि की मांग करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य; ((ii) ऋणदाता का बैंक विवरण जिसमें संतुष्टि नहीं है।

दावा करना;

((ग) न्यायालय या न्यायाधिकरण का एक आदेश जिसने इस पर निर्णय दिया है।

दावे की गैर-संतुष्टि, यदि कोई हो।

10. दावों का सार। अंतरिम संकल्प

पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, पूरे या हिस्से को प्रमाणित करने के लिए किसी लेनदार से ऐसे अन्य साक्ष्य या स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है जो वह उचित समझे।

अपने दावे से।

11. सबूत की लागत-एक लेनदार साबित करने की लागत वहन करेगा।

ऐसे लेनदार के कारण ऋण।

12. दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना। — (1) उप के अधीन

विनियम (2), एक लेनदार सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तिथि को या उससे पहले सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करेगा।

(2) एक लेनदार, जो सार्वजनिक घोषणा में निर्धारित समय के भीतर सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख के नब्बेवें दिन या उससे पहले अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर को सबूत के साथ दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(3) जहाँ उप-विनियम (2) में लेनदार एक वित्तीय है।

विनियमन 8 के तहत लेनदार, इसे इसमें शामिल किया जाएगा

इस तरह के दावे को स्वीकार करने की तारीख से समितिः

बशर्ते कि इस तरह के समावेश की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा

इस तरह के समावेश से पहले समिति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय। 12 - ए. दावे का अद्यतन। - एक लेनदार अपने दावे को किसी भी [2022] 13 एस. सी. आर. से आंशिक या पूरी तरह से संतुष्ट होने पर अपडेट करेगा।

दिवाला प्रारंभ तिथि के बाद किसी भी तरह से स्रोत।

13. दावों का सत्यापन। - (1) अंतरिम संकल्प

पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक दावे का सत्यापन करेगा, जैसा कि दिवाला पर है।

प्रारंभ तिथि, दावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से सात दिनों के भीतर, और उसके बाद लेनदारों की एक सूची बनाए रखें जिसमें उनके द्वारा दावा की गई राशि, उनके दावों की राशि और ऐसे दावों के संबंध में प्रतिभूति ब्याज, यदि कोई हो, के साथ लेनदारों के नाम शामिल हों, और अद्यतन करें।

यह।

(2) लेनदारों की सूची इस प्रकार होगी -

(क) दावा के प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध;

(बी) कॉर्पोरेट देनदार या उनके अधिकृत सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और गारंटरों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध प्रतिनिधि;

(ग) निगमित देनदार की, यदि कोई हो, वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई;

(ग) बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर दायर किया गया

अपनी वेबसाइट पर प्रसारः

बशर्ते कि यह खंड प्रत्येक निगम पर लागू होगा

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020 के शुरू होने की तारीख को या उसके बाद शुरू होने वाली दिवाला समाधान प्रक्रिया;

(घ) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास दायर किया गया; और

((ङ) समिति की पहली बैठक में प्रस्तुत किया गया।

14. दावे की राशि का निर्धारण। - (1) जहाँ किसी लेनदार द्वारा दावा की गई राशि किसी आकस्मिकता के कारण सटीक नहीं है।

या अन्य कारण, अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, दावे की राशि का सबसे अच्छा अनुमान लगाएगा

उसके पास उपलब्ध जानकारी।

(2) अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, राज्य कर अधिकारी (1) v की राशियों को संशोधित करेगा।

उप-विनियम (1) के तहत किए गए दावों के अनुमानों सहित स्वीकार किए गए दावे, जितनी जल्दी हो सके, जब वह

इस तरह की अतिरिक्त जानकारी मिलती है पुनरीक्षण "।

विनियम 12 (1) के अपरिवर्तित प्रावधानों के अनुसार, अपीलार्थी को कोई दावा दायर करने की आवश्यकता नहीं थी। विनियम 10 के साथ पढ़ें, अपीलार्थी को केवल ऐसी सामग्रियों के उत्पादन द्वारा दावे को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी जिनके लिए कहा जा सकता है। समय की शर्तें अनिवार्य नहीं हैं जैसा कि विनियमन 14 के उप-विनियमन (2) से स्पष्ट है जो अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर को, जैसा भी मामला हो, स्वीकार किए गए दावों की राशि को संशोधित करने में सक्षम बनाता है, जिसमें उक्त विनियमन के उप-विनियमन (1) के तहत किए गए दावों के अनुमान भी शामिल हैं, जब उन्हें अतिरिक्त जानकारी मिलती है। इस तरह के संशोधन की गारंटी देना।

25. इस मामले में, पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य की ओर से इस संबंध में दावा दर्ज करने का कोई दायित्व नहीं था -

देय राशि जो वैधानिक देय राशि है जिसके लिए वसूली की कार्यवाही भी शुरू की गई है। अपीलार्थियों को कानूनी बकाया के लिए अपीलार्थियों द्वारा किए गए दावे के संबंध में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कभी नहीं कहा गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण/एन. सी. एल. ए. टी. ने नियमों का गलत अर्थ निकाला। 26. अपीलार्थी की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी के खिलाफ राज्य द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी-कॉर्पोरेट [2022] 13 एस. सी. आर.

देनदार को अपने वैधानिक बकाया का भुगतान करना। निगमित देनदार की लेखा पुस्तकें राज्य के वैधानिक बकाया के संबंध में निगमित देनदार की देनदारी को दर्शाती हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का त्याग करते हुए, आर. पी. कॉर्पोरेट देनदार की लेखा पुस्तकों की जांच करने, उन्हें सत्यापित करने और जानकारी में शामिल करने में विफल रहा।

ज्ञापन दें और समाधान योजना में इसके लिए प्रावधान करें। समाधान योजना वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है - आई. बी. सी. और इसलिए, राज्य पर बाध्यकारी नहीं है।

27. श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल, अपीलार्थी की ओर से श्री के. एम. नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर के साथ पेश हुए। भारत के जनरल और सुश्री आस्था मेहता, विद्वान अधिवक्ता, ने आई. बी. सी. की धारा 3 (30) और 3 (31) का उल्लेख किया, जो नीचे दी गई है:

" संहिता की धारा 3 (30) और 3 (31) में कहा गया है:

" 3 (30) " सुरक्षित लेनदार "का अर्थ है किसके पक्ष में लेनदार

सुरक्षा हित बनाया जाता है;
3 (31) " प्रतिभूति ब्याज का अर्थ है अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या संपत्ति का दावा, जो किसी प्रतिभूति के पक्ष में बनाया गया है या उसके लिए प्रदान किया गया है।

लेन-देन द्वारा लेनदार जो भुगतान सुरक्षित करता है या

किसी दायित्व का निष्पादन और इसमें बंधक, शुल्क, परिकल्पना, कार्य और बोझ या कोई अन्य कार्य शामिल हैं।

किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के भुगतान या निष्पादन को सुरक्षित करने वाला समझौता या व्यवस्था:

बशर्ते कि प्रतिभूति हित में प्रदर्शन शामिल नहीं होगा गारंटी;

28. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि आई. बी. सी. की धारा 3 (30) और 3 (31) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एन. सी. एल. ए. टी. का यह निष्कर्ष कि राज्य एक सुरक्षित लेनदार नहीं है, गलत है और

आई. बी. सी. के तहत सुरक्षित लेनदार की स्पष्ट परिभाषा के विपरीत। 29. जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया, आई. बी. सी. के तहत परिभाषित "सुरक्षित लेनदार" शब्द व्यापक और व्यापक है

सभी प्रकार के प्रतिभूति हितों को कवर करने के लिए, अर्थात् अधिकार, स्वामित्व, ब्याज या संपत्ति का दावा, जो किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाया गया है या उसके लिए प्रदान किया गया है।

एक लेन-देन द्वारा, जो किसी दायित्व के भुगतान या प्रदर्शन को सुरक्षित करता है और इसमें बंधक, शुल्क, परिकल्पना, असाइनमेंट और

बोझ या कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जो किसी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के भुगतान या निष्पादन को सुरक्षित करती है।

30. विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने सही तर्क दिया कि जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में वैधानिक आरोप को देखते हुए,

राज्य का कर विभाग, आई. बी. सी. की धारा 3 (31) के तहत "प्रतिभूति ब्याज" की परिभाषा के अंतर्गत आता है और राज्य संहिता की धारा 3 (30) के तहत एक सुरक्षित लेनदार बन जाता है।

31. श्री नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय प्राधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी. ने माना है कि कर विभाग

राज्य "सुरक्षित लेनदार" के अर्थ में नहीं आता है। श्री नटराज के अनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. इस गलत आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जी. वी. ए. टी. अधिनियम, 2003 की धारा 48 आई. बी. सी. की धारा 53 पर प्रबल नहीं हो सकती है।

32. विद्वान एएसजी ने तर्क दिया कि, यह मामला नहीं था

अपीलार्थी कि जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 आई. बी. सी. की धारा 53 पर प्रबल है। यह अपीलार्थी का मामला था कि राज्य "सुरक्षित लेनदार" के दायरे में आता है।

33. विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि केवल यह तथ्य कि एक लेनदार एक परिचालन लेनदार हो सकता है, उसके परिणामस्वरूप एक सुरक्षित लेनदार के रूप में उस परिचालन लेनदार की स्थिति का नुकसान नहीं होगा। अपीलीय प्राधिकरण का निष्कर्ष कानून के विपरीत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

34. विद्वान ए. एस. जी. ने बताया कि अपीलार्थी ने समाधान योजना के लागू होने से बहुत पहले 28.02.2018 पर आर. पी. के समक्ष अपना दावा किया था। आईबीसी की धारा 30 (4) के तहत सीओसी द्वारा अनुमोदित। फिर भी, आर. पी. ने समाधान योजना में दावे को शामिल नहीं किया।

35. विद्वान ए. एस. जी. ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि आर. पी. दावों को प्राप्त करने, सत्यापित करने और मिलान करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाध्य था। अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। विद्वान एएसजी ने स्विस का हवाला दिया

रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ ', जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समाधान पेशेवर के पास स्वीकार करने या स्वीकार करने की न्यायिक शक्तियाँ नहीं हैं।

दावे को अस्वीकार करें। उसका कर्तव्य केवल दावों को प्राप्त करना, सत्यापित करना और उनका मिलान करना है। 36. आई. बी. सी. की धारा 30 (2) का उल्लेख करते हुए, विद्वान ए. एस. जी. ने तर्क दिया कि उपरोक्त प्रावधान आर. पी. को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करता है कि

समाधान योजना उक्त प्रावधान में निर्धारित मापदंडों/आवश्यकताओं के अनुरूप है। समाधान पेशेवर का यह कर्तव्य था कि वह जांच करे, सुनिश्चित करे और सत्यापित करे कि समाधान योजना आई. बी. सी. की धारा 30 (2) के तहत निर्धारित मापदंडों/आवश्यकताओं के अनुरूप है।

इसके अलावा, आई. बी. सी. की धारा 29 एक वैधानिक कर्तव्य और/या दायित्व को निर्धारित करती है। समाधान पेशेवर न्यायालय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सूचना ज्ञापन तैयार करने के लिए। विनियमों के विनियम 36 (2) में उल्लिखित विवरण शामिल करने के लिए, 2016 .

38. विद्वान ए. एस. जी. ने विनियमन 36 (2) का उल्लेख किया विनियम, 2016 जो नीचे दिया गया हैः

" 36. सूचना ज्ञापन (2) सूचना ज्ञापन में निगमित देनदार का निम्नलिखित विवरण होगा -

(ए)।

((ख) नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरण;

(ग) निगमित देनदार के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

(डी)। (ज) सभी भौतिक मुकदमों और सरकार और वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा शुरू की गई चल रही जांच या कार्यवाही का विवरण;

((i)। (I) अन्य जानकारी, जिसे समाधान पेशेवर मानता है।

समिति के लिए प्रासंगिक।

39. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने माना है कि राज्य के दावे में देरी हुई है। 2016 विनियमों का विनियम 12 सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि से संबंधित है, जैसा कि सार्वजनिक रूप से निर्धारित किया गया है।

आईबीसी की धारा 15 के तहत घोषणा। हालाँकि, समय अवधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल निर्देशिका है।

40. विशाल सक्सेना और अन्न के मामले में। वी. स्वामी दीन गुप्ता रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ', एन. सी. एल. टी. ने यह विचार रखा कि समय

दावा प्रस्तुत करने के लिए विनियम 12 में प्रावधान निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। इसी तरह का विचार एन. सी. एल. टी. द्वारा 10 जून 2021 के अपने निर्णय और आदेश में सहायक सीमा शुल्क आयुक्त बनाम. माथुर सभापति विश्वनाथन 3. राज्य के दावे की अस्वीकृति कानून में टिकाऊ नहीं है। 41. आई. बी. सी. की धारा 31, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन का प्रावधान करती है, यह स्पष्ट करती है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को केवल तभी मंजूरी दे सकता है जब

इस बात का संतोष कि समाधान योजना, जैसा कि समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है

लेनदार (सी. ओ. सी.) आई. बी. सी. की धारा 30 (2) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब समाधान योजना अनुभाग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है

30 (2) , उसी को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

42. घनश्याम मिश्रा एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम। विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा उद्धृत एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कं. Ltd.4, यह

न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 64. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायिका ने सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को सर्वोपरि महत्व दिया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा न्यायिक समीक्षा का दायरा सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 31 के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित है और अपीलीय प्राधिकरण की सीमा तक सीमित है।

आई एंड बी कोड की धारा 61 की उप-धारा (3) के तहत, नहीं है

अधिक रेज़ इंटीग्रा। 65. सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 को केवल पढ़ने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, संतुष्ट होने के बाद,

कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को पूरा करता है

धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताएँ -

निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और अन्य हितधारकों पर बाध्यकारी होगा। इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता है क्योंकि आई एंड बी संहिता के प्रमुख उद्देश्यों में से एक कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार है और

इसे एक चालू चिंता बना दें।

2 (2020) एससीसी ऑनलाइन एन. सी. एल. टी. 2734 3 आई. बी. ए./578/2019 एन. सी. एल. टी., चेन्नई 4 (2021) 9 एस. सी. सी. 657 [2022] 13 एस. सी. आर.

66. सफल समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना में विभिन्न प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है।

दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान के लिए प्रावधान, परिचालन लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान, जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगा।

निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53; या वह राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की गई होगी, यदि संकल्प के तहत राशि वितरित की जानी है।

योजना को आदेश के अनुसार वितरित किया गया था

धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता, जो भी अधिक हो। समाधान योजना के लिए वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान का प्रावधान करना भी आवश्यक है, जो इसके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं

समाधान योजना, जो इससे भी कम नहीं होगी निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि। उप-धारा के खंड (ख) के लिए स्पष्टीकरण 1

(2) आई एंड बी कोड की धारा 30 के हटाने के लिए स्पष्ट करता है

संदेह है कि प्रावधानों के अनुसार वितरण

उक्त खंड के ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

समाधान योजना भी प्रदान करने के लिए आवश्यक है

निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन

समाधान योजना का अनुमोदन और समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण भी। आई एंड बी कोड की धारा 30 की उप धारा (2) का खंड (ई) भी आरपी पर यह जांचने का कर्तव्य डालता है कि समाधान योजना वर्तमान में लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है।

43. विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने सही तर्क दिया कि जब एक ऋण योजना के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक राय दी गई थी, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह जांच करने की आवश्यकता थी कि क्या समाधान योजना आईबीसी की धारा 30 (2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। धारा 31 (1) में प्रयुक्त "संतुष्ट" शब्द समाधान योजना की जांच करने के लिए निर्णय प्राधिकरण पर एक कर्तव्य का विचार करता है-संकल्पखाली औपचारिकता के माध्यम से अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

44. आई. बी. सी. की धारा 61 (3), जिसमें समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आधार निर्धारित किए गए हैं, नीचे दी गई है - अनुभवः

" 61. अपील और अपीलीय प्राधिकरण। — (1) .....

(2) .....

(3) धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है। अर्थात्

(i) अनुमोदित समाधान योजना का उल्लंघन है

उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधान;
((ii) निगम के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है।

((iii) निगम के परिचालन ऋणदाताओं को देय ऋण। ऋणदाता को समाधान योजना में प्रदान नहीं किया गया है

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीका;

((iv) दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत नहीं आई है।

अन्य सभी ऋणों के लिए प्राथमिकता में पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान; या

(v) समाधान योजना किसी अन्य मानदंड का पालन नहीं करती है।

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट "।

45. जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा सही तर्क दिया गया है, एक समाधान योजना की स्वीकृति का कोई सवाल नहीं हो सकता है जो आई. बी. सी. की IBC.Section 30 (2) (बी) की धारा 31 (2) के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, समाधान पेशेवर पर जांच करने का दायित्व डालता है। उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना और यह पुष्टि करने के लिए कि ऐसी समाधान योजना में परिचालन लेनदारों के बकाया के भुगतान का प्रावधान है, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जो धारा 53 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी, या ऐसी परिचालन लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि का भुगतान किया गया होता।

धारा 53 की उप-धारा 2 में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित किया गया, जो भी अधिक हो, और वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया, जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया, इस तरह से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

46. आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत, द्वारा अनुमोदित एक समाधान योजना

धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा केवल तभी अनुमोदित किया जा सकता है जब न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण संतुष्ट है कि ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना आई. बी. सी. की धारा 30 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है। अनुमोदन के लिए पूर्ववर्ती शर्त समाधान योजना का उद्देश्य यह है कि समाधान योजना आई. बी. सी. की धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

47. एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। की समिति

एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और अनर्स के लेनदार, यह न्यायालय

पुष्टि की कि समाधान योजनाओं को आई. बी. सी. के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना होगा, और अभिनिर्धारित कियाः

" 147. विनियमन 39 (4) के संदर्भ में, आर. पी. सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को धारा 31 आई. बी. सी. के तहत अपने अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा।

समाधान योजना को मंजूरी देगा यदि यह संतुष्ट है कि यह धारा 30 (2) आई. बी. सी. के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। अनिवार्य रूप से, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी एक के रूप में कार्य करता है

धारा 30 (2) आई. बी. सी. का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आर. पी. की भूमिका की जांच करें और खुद को संतुष्ट करें कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित योजना को धारा 31 (1) आई. बी. सी. के प्रावधान के तहत प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। एक बार जब समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो यह निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और इसमें शामिल अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाता है।

समाधान योजना "।

48. एक समाधान योजना जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है

आई. बी. सी. की धारा 30 की उप-धारा (2) अमान्य होगी और केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार, किसी भी वैधानिक या कानूनी कार्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

अन्य प्राधिकारी, कोई वित्तीय लेनदार, या अन्य लेनदार जिसे किसी भी समय लागू कानून के तहत उत्पन्न बकाया के संबंध में ऋण है ऋणी है। इस तरह की समाधान योजना राज्य को तब बाध्य नहीं करेगी जब किसी निगमित देनदार का वैधानिक बकाया बकाया हो।

49. आई. बी. सी. की धारा 31 (1) जो न्यायनिर्णायक को सशक्त बनाती है।

समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है "यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा जो बाध्यकारी होगी". इस शर्त के अधीन कि समाधान योजना धारा 30 की उप धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यदि समाधान योजना आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से अनुमोदन करने की आवश्यकता होती है

समाधान योजना। दूसरी ओर, धारा 31 की उप-धारा (2), जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक समाधान योजना को अस्वीकार करने में सक्षम बनाती है जो धारा 31 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, "हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए प्राधिकरण को यह ध्यान में रखना होगा कि विवेकाधीन शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से, सनक से या तथ्यों और परिस्थितियों पर दिमाग के उचित अनुप्रयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए किसी न किसी तरह से विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।

51. यदि स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों में विवेक का उपयोग एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो विवेक का उपयोग उस तरह से किया जाना चाहिए। यदि कोई समाधान योजना प्रत्यक्ष रूप से कानून और/या आई. बी. सी. और/या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा। यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत भी है कि अभिव्यक्ति "हो सकता है", यदि परिस्थितियाँ ऐसी मांग करती हैं तो "शॉल" के रूप में माना जा सकता है।

52. यदि समाधान योजना देय वैधानिक मांगों की उपेक्षा करती है

किसी भी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण के लिए, पूरी तरह से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए बाध्य है।

किसी भी सरकार या सरकारी प्राधिकरण या उस मामले के लिए किसी भी अन्य बकाया के वैधानिक बकाया की कीमत पर अपने स्वयं के बकाया को सुरक्षित करें। 55. हमारे सुविचारित विचार में, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने अवलोकन में स्पष्ट रूप से गलती की कि आई. बी. सी. की धारा 53 जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 से परे है। आई. बी. सी. की धारा 53 एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है जिसमें कहा गया हैः

" संसद या तत्काल प्रभाव से किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून में इसके विपरीत कुछ भी नहीं होने पर, [2022] 13 एस. सी. आर. की बिक्री से प्राप्त आय।

परिसमापन परिसंपत्तियों का वितरण निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा।

प्राथमिकता।

56. जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 आई. बी. सी. की धारा 53 या किसी अन्य प्रावधान के विपरीत या असंगत नहीं है। खंड के तहत

53 (1) (ख) (ii) किसी प्रतिभूत लेनदार के लिए देय ऋण, जिसमें राज्य जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत शामिल होगा, को अन्य निर्दिष्ट ऋणों के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए।

57. जैसा कि ऊपर देखा गया है, राज्य जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार है। आई. बी. सी. की धारा 3 (30) सुरक्षित लेनदार को एक ऐसे लेनदार के रूप में परिभाषित करती है जिसके पक्ष में प्रतिभूति ब्याज जमा किया जाता है। इस तरह के सुरक्षा हित कानून के संचालन द्वारा बनाए जा सकते हैं। आई. बी. सी. में सुरक्षित लेनदार की परिभाषा किसी भी सरकारी या सरकारी को बाहर नहीं करती है। प्राधिकरण।

58. हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश हैं कि अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अधिनियम को अस्वीकार करने में कानूनी रूप से गलती की है। अपीलार्थी का आवेदन/अपील। जैसा कि ऊपर देखा गया है, दावा दायर करने में देरी दावे को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

59. अपीलों की अनुमति है। विवादित आदेशों को अलग कर दिया जाता है। सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को भी अलग रखा गया है। समाधान पेशेवर के आलोक में एक नई समाधान योजना पर विचार कर सकता है

ऊपर की गई टिप्पणियाँ। हालाँकि, यह निर्णय और आदेश समाधान आवेदक को अपीलार्थी जैसे वैधानिक लेनदारों के बकाया के लिए प्रावधान करते हुए, ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में एक योजना प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा।

60. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन (सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)